सारांकित प्रश्न क्र. 1025
माननीय विधायक - श्री ..... [क्र. 1025] परिशिष्ट [3/7/2023] "81"

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 215] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 20 अप्रैल 2021—चैत्र 30, शक 1943

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2021

क्र. एफ 22-142-2004-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 67 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा उक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) तक के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 22-142-2004-आठ, दिनांक 20 अप्रैल 2021 से प्रक्रम वाहनों का यात्री किराया निर्धारित करने के संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी करती है:—

निदेश

(1) नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में, नगर वाहनों को छोड़कर, विनिर्दिष्ट प्रक्रम वाहनों द्वारा प्रभार्य अधिकतम यात्री किराया उक्त सारणी के कालम (3) में, उनके सम्मुख तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार होगा:—

सारणी

अनु क्रमांक	वाहन का प्रकार	अधिकतम प्रभार्य यात्री किराया
(1)	(2)	(3)
1	सामान्य प्रक्रम वाहन	रूपए 1.25 प्रति यात्री प्रति किलोमीटर या उसके भाग के लिए, न्यूनतम किराया रूपये 7.00 के अध्यधीन रहते हुए

(2) उपरोक्त निदेश (1) के अनुसार संगणित किराये में निम्नानुसार अधिकतम वृद्धि की जा सकेगी:—

(1)	(2)	(3)
(क)	रात्रि बस सेवा के लिए	सामान्य प्रक्रम वाहनों के किराये से 10 प्रतिशत अधिक
(ख)	डीलक्स बस (नॉन ए.सी.)	सामान्य प्रक्रम वाहनों के किराये से 25 प्रतिशत अधिक
(ग)	स्लीपर	सामान्य प्रक्रम वाहनों के किराये से 40 प्रतिशत अधिक
(घ)	डीलक्स बस (ए.सी.)	सामान्य प्रक्रम वाहनों के किराये से 50 प्रतिशत अधिक
(ङ)	सुपर लग्जरी कोच (ए.सी.)	सामान्य प्रक्रम वाहनों के किराये से 75 प्रतिशत अधिक

टिप्पणी:— 1. अतिरिक्त रात्रि प्रभार, डीलक्स (नॉन ए.सी.) स्लीपर, डीलक्स (ए. सी.) बस और सुपर लग्जरी कोच के किरायों पर प्रभार्य नहीं होगा।

2. एक्सप्रेस बस सेवाओं के लिए कोई अतिरिक्त प्रभार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

3. परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा समय—समय पर जारी दिशा—निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए बस सेवाओं का रात्रिकालीन बस सेवा, डीलक्स, ए.सी. डीलक्स और सुपर लग्जरी कोच सेवाअें के रूप में वर्गीकरण किया जाएगा।

No. F 22-142-2004-VIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 67 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), and having regard to the provisions of clause (a) to (d) to sub-section (1) of said Section and in partial supersession of this Department's Notifications No. F 22-142-2004-VIII dated 28th May, 2018 the State Government, hereby, issue following directions to the State Transport Authority and all Regional Transport Authority regarding fixing of passenger fares of Stage Carrriages from Date 20th April 2021:—

DIRECTIONS

1. In Maximum passenger Fares Chargeable by Stage Carriage specified exculding city bus in column (2) of the table given below shall be at the retes specified in corresponding entries against them in the column (3) of the said table:—

TABLE

S.N. (1)	Type of vehicle (2)	Maximum passenger fares chargeable (3)
1.	General State Carriage	Rs. 1.25 per passenger per K.M. or part thereof, subject to a minimum fare of Rs.7.00

2. As per direction (1) above, fares calculated may be increased to a maximum as follows :-

(1)	(2)	(3)
(a)	Night Bus Service	10% more than fares of. general Stage carriages
(b)	Deluxe Bus (Non A.C.)	25% more than fares of general Stage carriages
(c)	Sleeper	40% more than fares of general Stage carriages
(d)	Deluxe Bus (A.C.)	50% more than fares of general Stage carriages
(e)	Super Luxury Coach (A.C.)	75% more than fares of general Stage carriages

Note:

(1) Extra Night charges will not be chargeable on Deluxe (Non A.C.), Sleeper, Deluxe A.C. bus and Super Luxury coach fares.

(2) No extra charge would be permitted for express bus service.

(3) The classification of a bus service as Night service, Deluxe, A.C. Deluxe and Super Luxury coach service would be subject to the guidelines issued by Transport Commissioner, Madhya Pradesh, from time to time.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. मिश्रा, अपर मुख्य सचिव.

[illegible]